OFFICE OF THE DIRECTOR
RAJASTHAN POLICE ACADEMY
NEHRU NAGAR, JAIPUR-302016 (RAJASTHAN)
PPHONE NO 0141-2303222, 2302131, 2301878(FAX)
E-mail:director.rpa@rajpolice.gov.in/dirrpa@gmail.com

क्रमांकः– व–15(43)आरपीए/जन/शिशुपालना/2024/572 दिनांकः– 29.1.25

खुली बोली आंमत्रण सूचना

कार्यालय राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा पंजीकृत गैर सरकारी संस्था/NGO द्वारा निजी सहभागिता के माध्यम से संस्था में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु शिशु पालना गृह (क्रेच) का प्रभावशाली तरीके से प्रबंधन, अनुरक्षण एवं संचालन किये जाने बाबत मोहरबन्द खुली (तकनीकी– एकल भाग) बोलियां आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	आईटम	अनुमानित राशि (लाख)	अमानत राशि रू.	निविदा फार्म मूल्य	निविदा खोलने की तिथि
1.	शिशु पालना गृह (क्रेच) का प्रभावशाली तरीके से प्रबंधन, अनुरक्षण एवं संचालन किये जाने बाबत	5.00 लाख	10000/–रू	500.00 रू	10.02.2025

निविदा शर्तेः–

1. निविदा विहित निविदा प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी, निविदा प्रपत्र आरपीए, जयपुर (सामान्य शाखा) से निर्धारित शुल्क (बैकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट) जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है।
2. निविदायें मोहर बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से कार्य का नाम लिखा हो दिनांक 10.02.2025 दोपहर 1.00 बजे तक या इससे पूर्व कार्यालय समय में आरपीए, जयपुर (सामान्य शाखा/बिड बॉक्स) में जमा करायी जा सकती हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 10.02.2025 को 03.30 पी.एम. पर क्रेता समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
3. निविदा के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिर्टन एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
4. जो निविदाऐं निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी या विहित उपर्युक्त दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होगी उन पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. निविदा शर्ते जी.एफ.एण्ड ए.आर. रूल्स एण्ड आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार मान्य होगी।
6. समिति को किसी भी निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

सहायक निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को तीन दिवस तक आवश्यक रूप से एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करावें।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ जिलों के ठेकेदारों को सूचित करने का श्रम करें।
3. सहायक निदेशक (प्रशासन) एवं नोडल अधिकारी आर.पी.ए. जयपुर।
4. लेखाधिकारी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा sppp पोर्टल (www.sppp.rajasthan.gov.in) एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवं शर्तों के अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें।
6. प्रभारी सीडीपीएसएम/स्टेशनरी/कैशियर/नोटिस बोर्ड/आर.पी.ए. जयपुर।

सहायक निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

कार्यालय निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

शिशु पालना गृह (क्रेच) का प्रभावशाली तरीके से प्रबंधन, अनुरक्षण एवं संचालन किये जाने बाबत

तकनीकी–वाणिज्यिक बोली आवेदन प्रपत्र

1 उपापन संस्था का विवरण :– निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

2 कार्य का विवरण :– शिशु पालना गृह (क्रेच) का प्रभावशाली तरीके से प्रबंधन, अनुरक्षण एवं संचालन किये जाने बाबत

3 बोली का सन्दर्भ :–बोली सूचना क्रमांक

4 बोली खोलने की तिथि व समय :–दिनांक 10.02.2025 समय दोपहर 03:30 बजे

5 मोहर बन्द बोली उपापन संस्था को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि व समय :– दिनांक 10.02.2025 समय दोपहर 01:00 बजे तक

6 बोली दाता का विवरण :–

(1) रजिस्टर सेवा प्रदाता NGO संस्था का नाम :–

(2) संस्था NGO का प्रकार (फर्म/कम्पनी/अन्य) :–

(3) पूर्ण पता :–

(4) टेलिफोन नं. :– (5) मोबाईल नं. :– (6) ई–मेल पता :–

7 संस्था NGO का पैन नं./सेवाकर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (छाया प्रति संलग्न करें) :–

8. बोली शुल्क की राशि 500/– डी.डी. संख्या ..... दिनांक ..... से जमा करा दी गई है।

9 बिड सिक्यूरिटी राशि 10000/– डी.डी. संख्या ..... दिनांक ..... से जमा करा दी गई है।

10 बोली में दी गई दरों की वैद्यता की अवधि – 90 दिवस

11 कार्यालय निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली सूचना कमांक..... दिनांक .... के क्रम में प्रकाशित की गई शर्तें जो बोली पत्र के साथ संलग्न है, उनसे मैं/हम पूर्णतया सहमत है। हमारी स्वीकृति बतौर अपने हस्ताक्षर मय मोहर सभी पृष्ठों पर कर दिये गये है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
(पत्राचार का पूर्ण पता)
दूरभाष नं0

निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी,जयपुर
तकनीकी–वाणिज्यिक परिशिष्ट–"अ"

1. बोली आवेदन प्रपत्र भरा हुआ व हस्ताक्षरित मय सील प्रस्तुत किया जायेगा अन्यथा वोली निरस्त कर दी जायेगी।
2. तकनीकी बोली प्रपत्र– A 1 (चैक लिस्ट) अनिवार्य रूप से भरा होना चाहिए। केवल तकनीकी वोली प्रपत्रों के संलग्नकों अनुसार ही संलग्न किये दस्तावेजों की जांच की जायेगी एवं उसी आधार पर ही तकनीकी वोली के सफल होने का निर्णय लिया जायेगा। ध्यान दें जिस दस्तावेज पर A 1 (चैक लिस्ट) अनुसार संलग्नक संख्या अंकित नहीं होगी उसे गैर आवश्यक मानते हुये उस पर उपापन समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
3. यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता NGO पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं आता है तो वह तदनुसार वचन–पत्र प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है परन्तु बोली अवधि के दौरान यदि पंजीकरण कराया जाना आवश्यक हो तो सफल बोलीदाता ऐसा पंजीकरण करवाकर प्रमाण पत्र की प्रति कार्यालय में जमा कराने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।
4. वित्त विभाग के आदेश क्रमांकः एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 के क्रम में उल्लेखित NGO का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें। उक्त आदेश के सभी प्रावधान अनुबंध पर लागू होगें।
5. इच्छुक बोलीदाताओं NGO को सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रस्तुत करने से पहले बोली कार्य स्थल का निरीक्षण कर निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर से वार्तालाप (Discussion) कर समझने का श्रम/कोशिश करें।
6. बोलीदाता NGO को राजस्थान सरकार के वित्त (व्यय–3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(3)(1)वित्त/व्यय–3/2021 दिनांक 22.12.2021 की शर्तो की पूर्ण पालना सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किये गये संशोधनों को बोलीदाता एवं इस संस्था के मध्य किये गये करार में सम्मिलित माना जायेगा।
7. बोलीदाता NGO पर किसी प्रकार का राजकीय विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों आदि से संबंधित कोई राशि यथा सर्विस टैक्स/ईपीएफ/ईएसआई आदि बकाया नहीं होनी चाहिए। इस आशय का रूपये 100/– का नॉन– ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जावे।
8. बोलीदाता NGO के लिये अनिवार्य है कि गत तीन वित्तीय वर्षों 2021–22, 2022–23 एव 2023–24 में **किसी एक वित्तीय वर्ष** में उनको शिशु पालना गृह (क्रेच) के संचालन का अनुभव होना चाहिये। सम्बन्धित राजकीय कार्यालय/विभाग/निगम/ट्रस्ट/निजी सस्थान द्वारा जारी किया गया इस आशय का संतोषप्रद अनुभव प्रमाण पत्र "बोली" के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिड के साथ जीएसटी पंजीयन प्रमाण प्रमाण पत्र तथा आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नं0 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया जाना हैं।
8. बोलीदाता NGO का गत 3 वित्तीय वर्ष (2021–22 से 2023–24) का औसत वार्षिक टर्नओवर राशि 10.00 लाख रूपये या इससे अधिक होना आवश्यक है। प्रमाण स्वरूप बोलीदाता NGO को संबंधित लेखों की प्रति एवं चार्टर्डे एकाउण्टेन्ट का प्रमाण पत्र (स्वयं द्वारा प्रमाणित) तकनीकी बोली प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
9. तकनीकी–वाणिज्यिक बोली से संबंधित समस्त दस्तावेज एक मोहरबन्द लिफाफे में रखा जाना चाहिए उस लिफाफे पर तकनीकी शिशु पालना गृह (क्रेच) का प्रभावशाली तरीके से प्रबंधन, अनुरक्षण एवं संचालन किये जाने बाबत कार्यालय निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर लिखा होना चाहिए साथ ही बोलीदाता का नाम एवं पूर्ण पता व मोबाईल नं. अंकित होना चाहिए।
10. बोली फार्म के साथ संलग्न प्रपत्र, शर्ते एवं समस्त अन्य दस्तोवज हस्ताक्षरित मय मोहर होने चाहिए।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

11 तकनीकी बोली के मूल्यांकन में प्रपत्र **A2** अनुसार निर्धारित सूत्र से संस्था **NGO** को अंक दिये जायेंगे (अधिक्तम अंक 100) तत्पश्चात् राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 65(छ) के अनुसार प्राप्तांको के स्कोर के आधार पर सबसे अधिक लाभप्रद बोली का निर्धारण करते हुये बोलीदाता **NGO** को सफल घोषित किया जायेगा। यदि स्कोर बराबर रहता है तो ज्यादा एवं अधिक अवधि के अनुभव वाले **NGO** को सफल घोषित किया जायेगा।

12 IMPORTANT INSTRUCTION:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012" [hereinfafter called thr Rules] under the said act have come into force which are available on the website of STATE PUBLIC PROCUREMENT PORTAL http://sppp.raj.nic.in. Therefore, the bidders are advised to acquaint themeselves with the provisions of the act and the rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the act and the rules and the bidding document, the provision of the act and the rules shall prevail.

13 बोली को बिना कोई कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर को होगा।

मैने/हमने उपरोक्त शर्तो को ध्यान पूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हुँ/है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

तकनीकी बोली प्रपत्र–A1 (check list)

बोलीदाता NGO द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा:–

क्र.स	विवरण			संलग्नक क्रमांक
1.	पंजीकरण बाध्यता में नहीं आने का राशि 50 /– का शपथ पत्र			
2.	राजकीय विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/सार्वजनिक उपकमों की राशि बकाया नहीं होने का 100/–का स्टाम्प			
3.	राजकीय भवनों/निगमों एवं अन्य पंजीकृत ट्रस्ट/निजी संस्थाओं में शिशु पालना गृह (क्रेच) संचालन	2021–22	सप्लाई आदेश	
		2022–23	सप्लाई आदेश	
		2023–24	सप्लाई आदेश	
4.	वार्षिक टर्नओवर राशि 10.00 लाख रूपये या अधिक	2021–22		
		2022–23		
		2023–24		
5.	आय कर (पैन नंबर)			
6.	जी.एस.टी पंजीयन प्रमाण पत्र			
7.	परिशिष्ट–"ब 1" के अनुसार रूपये 50/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से अटेस्टेड स्टाम्प			
8.	परिशिष्ट–"ब 2" के अनुसार फर्म के लेटर हैड पर बोलीदाता NGO के क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रमाण पत्र			

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

पूर्ण पता–

निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

तकनीकी बोली प्रपत्र–A2

(तकनीकी योग्यता पर आधारित अंक निर्धारण का सूत्र)

<table>
<tr><th>क सं</th><th>योग्यता</th><th>निर्धारित अंक</th><th>अधिकतम प्राप्तांक</th></tr>
<tr><td>1</td><td>गत वित्तीय वर्षों में राजकीय अथवा निजि संस्थान में शिशु पालना गृह (क्रेच) का प्रभावशाली तरीके से संचालन</td><td>तकनीकी मूल्यांकन में राजकीय अथवा निजि संस्थान में प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु शिशु पालना गृह (क्रेच) के संचालन का अनुभव के आधार पर निम्नानुसार अंक दिये जायेंगे :–
<table>
<tr><th>क्रम सं0</th><th>पूर्व वित्त वर्षो में शिशु पालना गृह (क्रेच) का संचालन</th><th>निर्धारित अंक</th></tr>
<tr><td>1</td><td>एक संस्था से दो संस्था तक</td><td>7</td></tr>
<tr><td>2</td><td>तीन संस्था से चार संस्था तक</td><td>10</td></tr>
<tr><td>3</td><td>पांच संस्था से छः संस्था तक</td><td>13</td></tr>
<tr><td>4</td><td>सात संस्था से अधिक</td><td>16</td></tr>
</table></td><td>वित्त वर्ष
2021–22 =16
2022–23 =16
2023–24 =16

कुल= 48</td></tr>
<tr><td>3</td><td>गत तीन वित्तीय वर्षों 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 प्रत्येक का फर्म द्वारा प्रस्तुत वार्षिक टर्नओवर (प्रमाण सहित)</td><td>तकनीकी मूल्यांकन में प्रत्येक वित्त वर्ष का फर्म द्वारा प्रस्तुत वार्षिक टर्नओवर (प्रमाण सहित)
के आधार पर निम्नानुसार अंक दिये जायेंगे :–
<table>
<tr><th>क्रम सं0</th><th>प्रत्येक वित्त वर्ष का फर्म द्वारा प्रस्तुत वार्षिक टर्नओवर (प्रमाण सहित)</th><th>निर्धारित अंक</th></tr>
<tr><td>1</td><td>10 लाख से 15 लाख</td><td>9</td></tr>
<tr><td>2</td><td>16 लाख से 20 लाख</td><td>12</td></tr>
<tr><td>3</td><td>21 लाख से 25 लाख</td><td>15</td></tr>
<tr><td>4</td><td>26 लाख से अधिक</td><td>17.33</td></tr>
</table></td><td>वित्त वर्ष
2021–22 =17.33
2022–23 =17.33
2023–24 =17.33

कुल= 52</td></tr>
<tr><td colspan="3">पूर्णांक</td><td>100</td></tr>
</table>

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

पूर्ण पता–

परिशिष्ट–"ब 1"

(रूपये 50/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से अटेस्टेड)

प्रमाण पत्र

मैं/हम कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली सूचना क्रमांक ..... दिनांक ..... में वर्णित समस्त शर्तो तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तो की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये है) मैं/हम दी गई समस्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/करते है साथ ही इस बात पर भी सहमति देते है कि मेरे/हमारे द्वारा बोली के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही है। यदि बोली प्रक्रिया या बोली प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूँगा/रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बोली/अनुबंध को निरस्त करने, मेरे/हमारे विरूद्ध कानून/विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

मैं/हम ने कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में शिशु पालना गृह (क्रेच) का प्रभावशाली तरीके से प्रबंधन, अनुरक्षण एवं संचालन किये जाने हेतु आमंत्रित प्रस्ताव की समस्त शर्तो को स्वीकार करता हूँ /करते हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता

(श्री .....

.....)

निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

परिशिष्ट–"स"

तकनीकी बोली की सामान्य शर्तें

1. (i) NGO के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से NGO के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नही किया जाएगा ।

(ii) संविदा के संबंध में NGO में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा NGO में तब तक स्वीकार नही किया जाएगा जब तक कि ये इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नही हो जाते एवं निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए बोलीदाता NGO की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

2. बोलीदाता NGO बोली एवं बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट– 'ब 1', 'ब2' पर अपने हस्ताक्षर कर बोली के साथ प्रस्तुत करें।

3 माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) वृद्धि एवं पुनरादेश (Repeat Orders)

(i) उपापन संस्था संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract) के समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्शिष्ट माल या सेवाओं के परिमाण (मात्रा) में बढोतरी कर सकेगी, किन्तु ऐसी बढोतरी विनिर्दिष्ट मात्रा के 50% से अधिक नहीं होगी। ऐसी बढोतरी ईकाई मूल्यों या अन्य निबन्धनों और शर्तो में किसी भी प्रकार परिवर्तनों के बिना होगी।

(ii)यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम अप्राप्त करती है तो बोली लगाने वाला NGO किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(iii) अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Orders), संविदा में दी गई दरों और शर्तो पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियों आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50% से अधिक नहीं होगा।

(iv) यदि बोलीदाता NGO शिशु पालना गृह (क्रेच) के संचालन करने में असमर्थ रहता है तो विभाग संचालन की व्यवस्था सीमित बोली द्वारा या अन्य प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत आऐगी उसकी वसूली बोलीदाता NGO से की जायेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

5. <u>बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) :–</u>

(i) बोली प्रपत्र में अंकित राशि 19800/– बोली प्रतिभूति राशि निदेशक, राजस्थान पुलिस अकामदी, जयपुर के नाम से निम्न रूप में दी जाऐगी:–

(अ) नकद– शीर्ष "8443" सिविल निक्षेप– 103– प्रतिभूति निक्षेप" के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान से जमा कराई जा सकती है । या

(ब) शिडयूल्ड बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक के द्वारा जमा कराई जावेगी ।

(स) धरोहर राशि (बोली प्रतिभूति) अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूप विधान में बैंक गारन्टी यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित कराई जावेगी।

6. <u>कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) :–</u>

(i) सफल बोलीदाता NGO को आर0टी0पी0पी0 नियम 2013 के नियम 75, नियम 76 प्रावाधानानुसार 15 दिवस की अवधि में, दर संविदा अवधि के प्रदायआदेश की राशि की 5 प्रतिशत कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराकर करार पत्र परिशिष्ट ब3 में निष्पादित करना होगा।

(ii) बोली कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

(iii) भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगें।

(iv) प्रतिभूति राशि निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के नाम से निम्न रूप में दी जा सकेगी:–

(क) " ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा "

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत निमयों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियॉ। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(ड.) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged)की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा एवं ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहत कर ली जायेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

(च) खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

(v) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता NGO के विरूद्व कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, के अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाऐगा ।

(vi) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of performance Security Deposit):– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) किया जाऐगाः–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लधंन किया गया हो ।

(ख) जब बोलीदाता कार्य सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो

(ग) जब बोलीदाता NGO कार्य आदेश के अनुसार निर्धारित अवधि में शिशु पालना गृह (क्रेच) के संचालन करने में असफल रहता हो । कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

(vii) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा प्रतिभूति राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता NGO द्वारा वहन किया जाऐगा ।

(viii) बोलीदाता NGO द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाऐगेः–

(अ) यदि भागीदारी संस्था NGO हो तो भागीदारी विलेख (Partnrership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति ।

(ब) यदि भागीदारी संस्था NGO पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष ।

(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता,टेलिफोन नम्बर।

(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र

(ix) साझेदारी संस्था NGO की स्थिति में बोली एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र एजेन्सी/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाये ।

7. बोलीदाता NGO द्वारा संविदा पर उपलब्ध कराये जाने वाली मैन पॉवर पूर्णतः अस्थायी एवं जॉब बेसीस पर होगी तथा अनुबंध की अवधि समाप्त होते ही कार्य से स्वतः ही मुक्त हो जायेगी। सेवा संस्था द्वारा वही मैन पॉवर लगाई जायेगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता रखते हो, कार्य में दक्ष हो व उपापन संस्था को स्वीकार्य हो।

8. जिस बोलीदाता NGO की बोली स्वीकार की जावेगी उसे परिशिष्ट 'ब 3' के अनुसार रूपये 500/–के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर लिखित अनुबन्ध कार्यादेश में इस संबंध में दी गयी दिनांक पर अथवा दिनांक नहीं दिये जाने की स्थिति में कार्यादेश की दिनांक से अधिक्तम 15 दिवस में करना होगा एवं निर्धारित अवधि के भीतर कर्मचारी उपलब्ध कराने होगें।

9. अनुबन्ध प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगा एवं संतोषप्रद कार्य करने पर उसे बढाया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

10. बोलीदाता NGO द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान संतोषप्रद सेवाएँ उपलब्ध नही कराई जाती है तो अनुबंधित NGO को अनुबंध अवधि के मध्य हटाया जा सकेगा। जिसका किसी प्रकार का दावा मान्य नही होगा।

11. अवयस्क व्यक्तियों को कार्य पर नही लगाया जायेगा।

12. बोली आवेदन के साथ बोली शुल्क राशि रू0 500/–(अक्षरे पाँच सौ रूपये) एवं बोली प्रतिभूति राशि 19800 (उन्नीस हजार आठ सौ) का डी.डी./प्रमाण संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा बोली अवैध मानते हुये अस्वीकार कर दी जायेगी। ड्राफ्ट निदेशक, राजस्थान पुलिस अकामदी, जयपुर के नाम जयपुर बैंक में देय होना आवश्यक है।

13. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी बोलीदाता NGO की होगी।

14. उपापन संस्था को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

15. बोली की शर्तो का पालन नहीं करने पर अनुबंध तुरन्त समाप्त कर दिया जायेगा तथा भविष्य में उत्तरदायित्व स्वयं NGO का होगा।

16. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (संबंधित NGO) द्वारा जयपुर स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी, अन्य स्थान पर नहीं की जायेगी।

17. बोली के साथ फर्म के लाभ के लिये जानबूझ कर कोई गलत सूचना दी जाती है तो ऐसी गलत सूचना के लिये बोलीदाता NGO स्वंय जिम्मेदार होगा एवं ऐसी बोली को निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर किसी भी स्तर व समय पर निरस्त करने के अधिकारी होगें।

18. बोली स्वीकृत कर लिये जाने के पश्चात् यदि बोलीदाता NGO दिये समय में शिशु पालना गृह (क्रेच) का संचालन नहीं करा पाता है या प्रतिभूति राशि जमा नहीं करा पाता है तो उसकी बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी।

19. उपर्युक्त शर्तो के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम लागू होंगे इसके साथ ही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधान उक्त बोली पर लागू होंगे।

20. बोलीदाता NGO द्वारा दी गई अन्य कोई शर्ते मान्य नही होगी। सशर्त बोली निरस्त की जा सकेगी।

21. सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा।

22. NGO का किये जाने वाले भुगतान में से नियमानुसार कर एवं अन्य कटौतियाँ की जायेगी।

23. बोलीदाता NGO बोली की शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर स्वीकृति के प्रतीक रूप में हस्ताक्षर करेगा।

24. अनुबंध पर लगे मैन पॉवर की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है या किसी दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने का भार बोलीदाता NGO द्वारा वहन किया जायेगा। इसके लिए उपापन संस्था द्वारा कोई भार वहन नही किया जायेगा।

25. NGO अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाड़े (सब लैट) पर देय नहीं होगा।

मैने/हमने उपरोक्त शर्तो को ध्यान पूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हुँ/है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
(पत्राचार का पूर्ण पता)
दूरभाष नं0

निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
परिशिष्ट–"स 2"
तकनीकी बोली की कार्य संबंधी शर्तें
बिड की विशिष्ट शर्तें :–

01. संस्था द्वारा शिशु पालना गृह (क्रेच) का प्रभावशील तरीके से प्रबंधन, अनुरक्षण एवं संचालन किया जायेगा।
02. शिशु पालना गृह (क्रेच) का संचालन के लिये संस्था द्वारा स्वयं का स्टॉफ यथा–प्रबन्धक, सेविका, सहायिका/ आदि नियुक्त किये जावेगे, स्टॉफ की न्यनूतम संख्या प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित होगी। जिनके मानवेतन का भुगतान संस्था द्वारा किया जायेगा।
03. संस्था द्वारा नियुक्त स्टॉफ एवं राज्य सरकार के मध्य नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध नहीं होगा।
04. संस्था NGO द्वारा राज्य सरकार की सहमति बिना शिशु पालना गृह (क्रेच) को या इसके किसी भाग को संचालन हेतु उप ठेके पर नहीं दिया जा सकेगा।
05. संस्था द्वारा राजकीय सेवा में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चो को शिशु पालना गृह (क्रेच) में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। स्थान उपलब्ध होने पर संस्था द्वारा गेर सरकारी व्यक्तियों के बच्चों को भी शिशु पालना गृह (क्रेच) में प्रवेश दिया जा सकेगा।
06. शिशु पालना गृह (क्रेच) का संचालन प्रातः 9.00 बजे से साय 6:30 बजे तक रहेगा।
07. शिशु पालना गृह (क्रेच) के कार्यदिवस समस्त राजकीय कार्य दिवस होंगे। राजकीय कार्यदिवस के अतिरिक्त दिवसों को शिशु पालना गृह (क्रेच) को खोले जाने के संबंध में निर्णय संस्था के विवेक पर निर्भर करेगा।
08. शिशु पालना गृह (क्रेच) में 6 माह से अधिक वर्ष के बच्चो को प्रवेश दिया जा सकेगा।
09. संस्था को शिशु पालना गृह (क्रेच) परिसर में प्राथमिक उपचार हेतु किट रखना होगा।
10. संस्था को बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सक की अपने स्तर पर व्यवस्था करनी होगी।
11. शिशु पालना गृह (क्रेच) में 06 माह से 2 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल हेतु प्रति 3 बच्चों पर एक सहायिका नियुक्त की जायेगी। 2 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों पर सहायिका का अनुपात 5 बच्चों पर एक का रहेगा। सहायिकाओं की संख्या का निर्णय गठित समिति द्वारा नामांकित बच्चों की आयु तथा संख्या के आधार पर किया जायेगा। निर्धारण संख्या से कम सहायिका उपलब्ध होने पर प्रति सहायिका 100/–रूपये प्रतिदिन की शास्ति संस्था का पुर्नभरण में से वसूल किया जायेगी।
12. चयनित संस्था प्रतिमाह भुगतान के वाउचर व प्राप्त शुल्क की रसीद के साथ एक लेखा विवरण पत्र तैयार कर आगामी माह की 10 तारीख तक पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति को प्रस्तुत करेगी, जिसके द्वारा व्यय का सत्यापन किये जाने के उपरांत अन्तर राशि का भुगतान विभाग द्वारा संबंधित संस्था को किया जा सकेगा।
13. शिशु पालना गृह (क्रेच) के प्रचार–प्रसार के लिये राज्य सरकार का स्वयं के खर्चे पर विज्ञापन करना स्व–विवेक पर निर्भर करता है। फिर भी संस्था यदि शिशु पालना गृह (क्रेच) का प्रचार–प्रसार करना चाहती है, तो वह स्वयं के खर्चे पर कर सकती है।
14. राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये गये उपकरणो/ फर्नीचर के अतिरिक्त यदि संस्था स्वयं के खर्चे पर अन्य उपकरण/फर्नीचर आदि लगाना चाहती है तो प्रबंध समिति की अनुमति से लगा सकेगी।
15. विभाग/संस्था द्वारा स्वयं स्थापित उपकरणो/फर्नीचर का रखरखाव संस्था को स्वयं के खर्चे पर करना होगा।
16. अनुबंध समाप्ति पर संस्था NGO को स्वयं द्वारा स्थापित उपकरण/फर्नीचर को ले जाने की अनुमति होगी एवं विभाग द्वारा प्रदत्त फर्नीचर, संस्था द्वारा सही अवस्था में लौटाना होगा।
17. संस्था द्वारा शिशु पालना गृह (क्रेच) में ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जावेगी जो कि राज्य सरकार के नियमों/अधिनियमों के अधीन अनैतिक एवं अवांछनीय हो। यदि ऐसा पाया जाता है तो 15 दिवस का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करते हुए कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी तथा संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।
18. शिशु पालना गृह (क्रेच) के संचालन के दौरान किसी प्रकार की चोरी, गबन, हानि व्यक्तिगत, दुर्घटना आदि की जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी।
21. बाल अधिकारो को सुनिश्चित करना संस्था का दायित्व होगा।
22. संस्था द्वारा किसी भी प्रकार की जोखिम/विपत्ति की क्षतिपूर्ति के लिये स्वंय के खर्चे पर बीमा करवाया जावेगा।

23. सहायक निदेशक, एसआईसी, आरपीए, जयपुर, शिशु पालना गृह (क्रेच) के संचालन हेतु नोडल अधिकारी होंगे। इनके द्वारा समय–समय पर शिशु पालना गृह (क्रेच) का निरक्षण कर अपनी रिपोर्ट श्रीमान निदेशक महोदय, जयपुर को प्रस्तुत की जावेगी।

24. विभागीय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर शिशु पालना गृह (क्रेच) का औचक निरीक्षण किया जा सकेगा।

25. बच्चों की देखभाल हेतु सहायिकाओं एवं प्रबन्धक के मानदेय का भुगतान संबंधित चयनित एन.जी.ओ. /संस्था द्वारा किया जायेगा। एन.जी.ओ. द्वारा नियुक्त प्रबन्धक एवं सहायिकाओं के मानदेय पर व्यय का पुर्नभरण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा, जिसकी न्यूनतम/अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी:– नामांकित बच्चों की संख्या 3 अथवा 5 तक होने पर न्यूनतम रूपये 15000/– प्रतिमाह, इससे अधिक नामांकन होने पर रूपये 2700/– प्रति बच्चा प्रति माह, जिसकी अधिकतम सीमा 40500/– रूपये प्रतिमाह होगी।

26. राज्य सरकार एवं संस्था के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर दोनो पक्ष आपसी सहमति से समस्या का समाधान करेंगे। विवाद के संबंध में विभागाध्यक्ष को निर्णय अंतिम होगा। यदि आपसी सहमति से कोई समाधान नहीं निकलता है, तो न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

27. फर्म को किसी भी राजकीय विभाग/उपक्रम द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया होना चाहिये।

28. शिशु पालना गृह (क्रेच) का संचालन करने वाली चयनित संस्था द्वारा बच्चे के अभिभावकों से निम्नानुसार अधिकतम फीस/शुल्क चार्ज किया जायेगा:–

क्र.सं.	विवरण	मासिक फीस की दर (पूर्ण दिवस हेतु)	मासिक फीस की दर (आधे दिवस हेतु)
1.	राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों के लिए	3000/– रूपये प्रतिमाह	2000/– रूपये प्रतिमाह
2.	गैर सरकारी व्यक्तियों के बच्चों के लिए स्थान उपलब्ध होने पर	5000/– रूपये प्रतिमाह	4000/– रूपये प्रतिमाह
3.	एक दिवस के लिये	250/–	
4.	एक घंटे के लिये	100/– प्रति घंटा	

29. फर्म द्वारा कार्मिकों/श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं किया जावेगा, एवं कार्मिकों को उनके बैंक खाते से भुगतान किया जावेगा।

30. यदि बोलीदाता NGO के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कोई कर्मचारी न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है तो उस पर आने वाले समस्त दायित्वों को खुली बोलीदाता को ही वहन करना होगा। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

31. यदि बोलीदाता NGO एवं उसके कार्मिकोंके मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी खुली बोलीदाता की होगी। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय प्रशासन का कोई दायित्व नहीं होगा। नियोजित श्रमिकों का 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्मिकोंको हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस, वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का दायित्व खुली बोलीदाता का होगा।

32. कार्मिकों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य के उपरान्त मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में दुर्घटना में घायल /अपंग हो जाता है तो उसे किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने की समस्त जिम्मेदारी एवं दायित्व बोलीदाता का होगा। इसके लिये सरकार व इस कार्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

33. कार्य में लगाये जाने वाले कार्मिकों के आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिये पूर्णरूप से बोलीदाता जिम्मेदार होगा। इन कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन करने की समस्त जिम्मेदारी खुली बोलीदाता की होगी।

34. कार्यालय प्रशासन द्वारा ठेके से सम्बन्धित कोई सूचना बोलीदाता से कभी भी प्राप्त की जा सकेगी। इस हेतु खुली बोलीदाता को ठेका स्थल पर स्वयं की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को नामजद करना होगा, जो कि बोलीदाता के नाम से जारी पत्रों को प्राप्त करने एवं वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिये उत्तरदायी होगा। अधिकृत व्यक्ति इस कार्यालय प्रशासन के राउन्ड दी क्लाक सम्पर्क में रहेगा एवं प्रशासन के द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले दिशा–निर्देशों के लिये उत्तरदायी होगा।

35. प्रत्येक कर्मकार को सप्ताह में एक सवैतनिक अवकाश अनिवार्य रूप से देना होगा। इस संबंध में कर्मकार का नाम एवं अवकाश का वार से सूचित करना होगा।

36. कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत कटौती किया जाना एवं राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रकार की कटौतियों को कर्मचारी पर लागू करना एवं इस प्रकार की राशि को जमा कराने का उत्तरदायित्व खुली बोलीदाता का होगा।

37. बोलीदाता के किसी कर्मकार द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने/अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर प्रशासन उस कर्मकार को हटाने के निर्देश खुली बोलीदाता को देता है, तो खुली बोलीदाता को ऐसे कर्मकार को तुरन्त हटाना होगा।

38. श्रमविधि नियम उपनियम व अधिनियम आदि में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना एवं समय समय पर संशोधित श्रम नियमो की पालना करने का दायित्व खुली बोलीदाता/फर्म का होगा। समय–समय पर संशोधित श्रमविधि नियम उपनियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों दायित्वों के लिये खुली बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा। खुली बोलीदाता को श्रमविधि नियम उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं श्रमिक हित में जारी किये गये संशोधनों की पालना करने का दायित्व खुली बोलीदाता का होगा।

39. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

40. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

41. संवेदक द्वारा नियोजित कार्मिकों को पारिश्रमिक का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित कार्मिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। कार्मिकों के बैंक खातो में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था के संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जा सकेगा।

42. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार कार्मिकों को पारिश्रमिक/मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

43. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार समय–समय पर जारी किये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा दिशा–निर्देशों आदि की पालन नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामो/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

44. शिशु पालना गृह (क्रेच) के संचालन हेतु वित्त (व्यय–3) विभाग के परिपत्र प.6(3)(1)वित्त/व्यय–3/2021 दिनांक 12.12.2021 एवं दिनांक 01.11.2022 के प्रावधान लागू होगें।

45. मासिक आवर्तक व्यय खाद्य सामग्री (विशेष परिस्थिति में), सफाई हेतु सामग्री इत्यादि के व्यय का पुनर्भरण, वास्तविक के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा, जिसका अधिकतम सीमा रूपये 10,000/– प्रति माह होगी।

46. इस प्रकार संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा बिजली, पानी के व्यय के अतिरिक्त निम्न व्यय का पुर्नभरण किया जाना है:–

A- अनावर्तक व्ययः रूपये 3.00 लाख (अधिकतम)(एक बार)

B- आवर्तक व्ययः रूपये 0.10 लाख मासिक (अधिकतम) (खाद्य सामग्री, रख रखाव, मासिक हेतु सामग्री इत्यादि का पुनर्भरण वास्तविक व्यय के आधार पर)

C- आवर्तक व्ययः शिशु पालना गृह (क्रेच) में नामांकित बच्चों की संख्या के आधार पर पुनर्भरण की न्यूनतम सीमा रूपये 15000/– मासिक अथवा अधिकतम सीमा रूपये 40500/– मासिक होगी।

47. शिशु पालना गृह (क्रेच) में सफाई व्यवस्था एवं प्रबन्धन की पूर्ण जिम्मेदारी चयनित संस्था की होगी।

48. नामांकित बच्चों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री यथा दूध, दलिया, खिचड़ी, फल, कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि उच्च गुणवत्ता तथा यथा संभव FSSAI द्वारा प्रमाणित होना सुनिश्चित किया जायेगा। प्रयुक्त खाद्य सामग्री के बिल मासिक पुनर्भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

49. शिशु पालना गृह (क्रेच) में राज्य/भारत सरकार के अधिनियम/नियमों का उल्लंघन करने वाली कोई गतिविधि नहीं की जायेगी। ऐसी गतिविधि पाये जाने पर संस्था को 15 दिवस का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा तथा कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त करते हुये संस्था के विरूद्व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
(पत्राचार का पूर्ण पता)
दूरभाष नं0

परिशिष्ट–"ब 2"

(Shall be submitted on letter head of firm)

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

In relation to my/our bid submitted to Director, Rajasthan Police Academy, Jaipur,Rajasthan for **CRECHE MANAGEMENT, MAINTENANCE AND OPERATION** in response to their Notice Inviting No..... dated ..... I/We here by declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that.

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the bidding documents issued by the Procuring Entity.

2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in bidding document.

3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt of being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business suspended and not the subjected of legal proceedings for any of the foregoing reasons.

4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentation as to my/our Professional conduct or the making of false statements or misrepresentation as to my/our qualification to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.

5. I/We do not have a conflict of interest specified in the RTPP Act, Rules and the bidding Documents, Which materially affects fair competition.

Date :
Place :

Signature of Bidder
Name :
Designation :
Address :

(ON A NON JUDICIAL STAMP PAPER OF RS. 500/-)

AGREEMENT

The agreement made on this ..... day of (month).....(year)..... between SH. /SMT. / M/S.....having its registered office at.....herein after called "The contractor"(which expression shall unless excluded by or repugnant to the context, include its successors, heir, executors, administrative representatives and assignee) of the one part and the Director, Rajasthan Police Academy, Jaipur, Rajasthan , herein after reffered to as the Director RPA, of othet part.

Whereas the contractor has offered to enter into contract with the said Director RPA for CRECHE MANAGEMENT, MAINTENANCE AND OPERATION in the O/o Director RPA on the terms and conditions herein contained and the rates approved by the Finance Department for CRECHE MANAGEMENT, MAINTENANCE AND OPERATION for RPA have been duly accepted and where as the necessary security deposits have been furnished in accordance with the provisions of the Bid document via..... and whereas no interest will be claimed on the security deposits.

It is hereby agreed and declared by and between the parties that :-

1 The contractor shall, during the period of this contract that is to say from (Date).....to (Date)..... or extended under the provisions of The Rajasthan Transparency in public procurement act 2012 and rules 2013 or until this contract shall be determined by such notice as is hereinafter mentioned, safely carryout, by means of manpower employed at his own expenses and by means of tools, implements and equipments etc. at his own expense, all other associated works as described in the Bid documents, when the Director RPA or any other person authorized by Director RPA in that behalf require.

2 The NIB (notice inviting Bid), Bid documents (Qualifying and Financial), letter of intent,approved rates and such other additional particulars, instructions , work orders as may be found requisite to be given during execution of the work shall be deemed to be included in the expression " The Agreement" or " The Contract" wherever herein used.

3 The contractor hereby declares that nobody connected with or in the employment of the O/o Director RPA is not/shall not ever be admitted as partner in the contract.

4 The contractor shall abide by the terms and conditions, rules, guidelines, safety precautions etc, stipulated in the Bid document and terms and conditions mentioned in finance department, rajasthan circular no एफ.2(1) वित/एसपीएफसी/2017 **dated** 30.04.2018 and RTPP Act 2012 including any correspondence between the contractor and the Director RPA having bearing on execution of work and payment of work to be done under the contract.

5 The Director RPA, Jaipur may forfeit bid scurity and of performance security and debar The contractor for a period specifying in orders, if any information/document furnished by him proved to be false/ fabricated at the time of inspection and not complying with the terms and conditions of the bid documents as presented in bid and other relevant documents.

THUS, this agreement is executed by the parties on the signing date.

( )
Signature of Director RPA
NAME :
Designation :
Seal :
Date :

( )
Signature of Contractor
NAME :
Designation :
Seal :
Date :

Agreement signed in presence of

Witness 1 :
Signature
NAME :
Address:

Witness 2
Signature
NAME :
Address:

Witness 1 :
Signature
NAME :
Address:

Witness 2
Signature
NAME :
Address:

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Confict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :

a. Have controlling partners/ shareholders in common; or

b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or

d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

अनुलग्नक 'ब'

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ..... for procurement of ..... in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated ..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :
Place :

Signature of bidder
Name :
Designation :
Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is _____

The designation and address of the Second Appellate Authority is _____

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination of need of procurement.
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
(d) Cancellation of a procurement process.
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –

(i)hear all the parties to appeal present before him: and

(ii) peruse of inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1

(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the .....(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant :
   (ii)Official address, if any :
   (iii) Residential address :
2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :
6. Grounds of appeal :.....
   .....
   .....(Supported by an affidavit)
7. Prayer :.....
   .....
   .....

Place .....

Date .....

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis :

I. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

II. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

III. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(I)At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii)If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document dues to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods) As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vRPAl nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equRPAble manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.